संख्या :1349/1–10–2012–33(431)/2011

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक : 21 अगस्त, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–12 में समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से की गयी जलापूर्ति में व्यय धनराशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2012–13 में करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1459/मु0रा0आ0–03(13)/दै0आ0/2012–13, दिनांक 14 मई, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु ट्रैक्टर, टैंकर किराया एवं संचालन मद में शासनादेश संख्या–1527/1–10–2011–33(114) /2011, दिनांक 16 मई, 2011 द्वारा जनपद झांसी को रू0 10,00,000/– की धनराशि आवंटित की गयी थी। प्रकरण में रू0 22,22,765/– की धनराशि व्यय हुई। उक्त धनराशि रू0 10,00,000/– का भुगतान सम्बन्धित को किया जा चुका है, जबकि धनराशि रू0 12,22,765/– का भुगतान अभी अवशेष है। अतः वित्तीय वर्ष 2011–12 में समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से की गयी जलापूर्ति में अवशेष धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012–13 में करने हेतु धनराशि रू0 12,22,765/– (रूपये बारह लाख बाइस हजार सात सौ पैंसठ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि केवल पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में ट्रैक्टर, टैंकर संचालन/मरम्मत में व्यय के भुगतान पर नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007 –46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शा0प0सं0–78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या– 32–7/2011–NDM-1, दिनांक 16.01.2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहॉ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित है, के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

5. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को सर्मपित कर दिया जाये।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
राहत आयुक्त।

संख्या :1340/1–10–2012–33(431)/11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार –प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 सचिवालय।
2–आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइठ http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0
6– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, झांसी उ0प्र0।
7–वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5।
8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत की वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9–निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Rnd.
(आर0 एन0 द्विवेदी)
अनु सचिव।